

नगर निगम जोधपुर (दक्षिण)

पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर(राजस्थान)
ceo_nnj@rediffmail.com Tel. 0291-2651464

क्रमांक:- अग्नि/13/JFS/दक्षिण/2023-24/ 493

दिनांक :- 1/08/2023

ई निविदा सूचना.....DLB2324WSOB15343 दिनांक.....02.08.2023

नगर निगम जोधपुर दक्षिण की ओर से शास्त्रीनगर व बासनी फायर स्टेशन के सात अग्निशमन वाहनों का रखरखाव एवं संचालन हेतु निविदाएँ अनुभवी एवं योग्य प्रतियोगियों से e-tendering प्रक्रिया से आमंत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्तें निविदा की विस्तृत शर्तें:-

<http://eproc.rajasthan.gov.in> , sppp.rajasthan.gov.in पर व जोधपुर नगर निगम की वेबसाइट urban.rajasthan.gov.in/mcjs से प्राप्त की जा सकती है।

आयुक्त

नगर निगम जोधपुर दक्षिण

क्रमांक:- अग्नि/13/JFS/दक्षिण/2023-24/ 494-506

दिनांक :- 1/08/2023

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् महापौर/उपमहापौर, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
2. अति. आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
3. उपायुक्त, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
4. अधिक्षण अभियंता, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
5. राजस्थान संवाद जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतू।
6. मुख्य अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
7. वरिष्ठ लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
8. सहायक अभियन्ता गैरेज-नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
9. बिल लिपिक, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
10. श्री रामेश्वर गहलोत प्रोगामर नगर निगम जोधपुर दक्षिण को भेजकर लेख है कि उक्त ई-निविदा सूचना urban.rajasthan.gov.in/mcjs पर अपलोड करें।
11. प्रबंधक ओसवाल डाटा, नगर निगम जोधपुर दक्षिण को भेजकर लेख है कि उक्त ई-निविदा sppp.rajasthan.gov.in पर अपलोड करें एवं निविदा सूचना प्रकाशन हेतू राजस्थान संवाद जयपुर को मेल के माध्यम से भिजवायें।
12. नोटिस बोर्ड, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
13. गार्ड फाईल।

Signature valid

Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation: Commissioner

Date: 2023.08.01 11:05:11 AM IST

Reason: Approved
नगर निगम जोधपुर दक्षिण

RajKaj Ref No. : 4406519



नगर निगम जोधपुर (दक्षिण)

पोलोटैक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर(राजस्थान)
ceo_nnj@rediffmail.com Tel. 0291-2651464

क्रमांक:- अग्नि/13/JFS/दक्षिण/2023-24/493

दिनांक :- 01/08/2023

DLB2324WSOB15343

ई निविदा सूचना संख्या

नगर निगम जोधपुर दक्षिण की ओर से निविदा शर्तों के अनुसार अनुभवी एवं योग्य फर्मों/सर्वेदको से निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्युरमेन्ट प्रक्रिया से निम्न कार्यो हेतु ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है। जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी।

महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण

विवरण	समय	दिनांक
ऑन लाईन निविदा फार्म मिलना आरम्भ होने एवं जमा कराने प्रारम्भ होने की दिनांक व समय।	03-00 PM	03/08/2023
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय।	3:00 PM	24/08/2023
निविदा शुल्क/धरोहर राशि/प्रक्रिया शुल्क की मूल प्रति मुख्य अग्निशमन अधिकारी शास्त्री नगर फायर स्टेशन कार्यालय में जमा कराने के दिनांक एवं समय।	4:00 PM	— " —
ऑन लाईन निविदा खोलने की तारीख।	5:00 PM	— " —

निविदा का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र. स	कार्य का नाम	कार्य की अनुमति लागत (लाखों में)	धरोहर राशि	निविदा शुल्क	प्रक्रिया शुल्क	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	शास्त्रीनगर एवं बासनी फायर स्टेशन के सात अग्निशमन वाहनों का रखरखाव एवं संचालन	84 लाख	1,68,000/-	1000/-	1500/-	1 वर्ष

निविदा की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार है-

- निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले संवेदको को निविदा को इलेक्ट्रॉनिक फॉरमेट में वेबसाईट <http://eproc.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करानी होगी।

Signature valid

Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.08.01 12:03:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4406519



2. निविदा की प्रकिया ऑन लाईन होगी।
3. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि निविदायें नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को से निविदायें खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
4. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क हेतु निम्नलिखित राशि के डी.डी./बैंकर चैक की मूल प्रति मुख्य अग्निशमन अधिकारी, शास्त्रीनगर अग्निशमन कार्यालय जोधपुर में नियमानुसार निविदा में दिए गये समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है।

क्र सं	शुल्क विवरण	शुल्क	भुगतान का प्रकार	देय
1.	निविदा शुल्क	1000/-	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण
2.	धरोहर राशि	1,68,000/-	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण
3.	ई-टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क	1500/-	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट/बैंकर चैक	MD RISEL, JAIPUR

5. प्रदत्त दरें निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य (Valid) रहेगी। यदि निविदाकर्ता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
6. यदि संवेदन के नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से संबन्धित अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियन्ता से लेकर अधीक्षण अभियन्ता स्तर का किसी भी स्तरपर पदस्थापित हो, तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
7. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजिनियर अथवा इंजिनियरस या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना सेवा निवृत्ति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां से सेवारत लेने से पहले अनुमति नहीं ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
8. निविदा में निविदाताओं से अंतर राशि परफोरमेन्स सिक्यूरिटी के रूप में प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकृति निविदा का कार्यादेश दिया जायेगा।
9. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्न हस्ताक्षर कर्ता को रहेगा।

Signature valid

Digitally signed by Utsav Kaushal
 Designation: Commissioner
 Date: 2023.01.12.03:21 IST
 Reason: Approved
 नगर निगम जोधपुर दक्षिण

RajKaj Ref No. : 4406519



-: तकनीकी बोली प्रस्ताव :-

नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा विभिन्न फायर स्टेशनों के अग्निशमन वाहनों के संचालन व रखरखाव के लिये निविदा जिनकी शर्तें निम्नलिखित हैं:-

फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण को लिखित में संवेदक द्वारा दी जाएगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म से पहले सदस्य-सदस्यों को मुक्त नहीं किया जायेगा तथा फर्म में नया-नए भागीदार संविदा की समस्त शर्तों व नियमों को पूर्ण रूप से मनन व स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा व होंगे।

1. निविदा द्वि स्तरीय बिड पद्धति के अनुसार ऑनलाईन आमंत्रित की गयी है जिसमें प्रथम तकनीकी बिड होगी जिसमें तकनीकी निविदा के साथ मांगे गये सभी दस्तावेज एवं निविदा के लिए निर्धारित तकनीकी मापदण्डों से संबंधित सभी दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होगी। द्वितीय बिड वित्तीय बिड होगी जिसमें उपरोक्त कार्य करने हेतु कार्य की दर ऑनलाईन ही अपलोड किये गये निर्धारित प्रारूप (BOQ) में प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड में निविदा के लिए निर्धारित मापदण्डों के परिपेक्ष्य में योग्य पाये जाने पर सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जायेगी जिसकी सूचना पृथक से प्रेषित की जायेगी।
2. निविदा के विभिन्न संवर्गों / श्रेणियों के लिए प्रस्तुत दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत देय परिश्रमिक, संवेदक का सेवा शुल्क, भविष्य निधि प्रीमियम, राज्य कर्मचारी, बीमा प्रीमियर सेवाकर, आयकर एवं अन्य करों को शामिल करते हुए दर प्रस्तुत करनी होगी।
3. नगर निगम, जोधपुर दक्षिण बिना कारण बताये निविदा स्वीकृत / अस्वीकृत अथवा निरस्त करने हेतु पूर्ण रूप से अधिकृत होगा।
4. निविदा प्रपत्र एवं शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर एवं प्रस्तुत / सलग्न डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
5. फर्म/संस्था द्वारा जो दरे अंकित की जावेंगी वे अनुबंध होने की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य होगी। आगे की अनुबंध अवधि उन्ही दरों एवं शर्तों पर आपसी सहमति से एक वर्ष या उससे अधिक बढ़ाई जा सकेगी।
6. श्रमिकों को श्रम विभाग के नियमों तथा अन्य सुसंगत नियमों के अंतर्गत देय न्यूनतम परिश्रमिक के भुगतान के लिए संवेदक उत्तरदायी होगा। कम भुगतान की शिकायत आने पर सक्षम अधिकारी के आदेश होने पर संवेदक के बिलों से उक्त राशि की कटौती कर संबंधित को भुगतान करते हुए संवेदक पर 1000/- प्रति शिकायत शास्ति आरोपित या / तथा अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा।

Signature valid

Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.08.01 12:03:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4406519



7. सेवाओं का समय राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नॉर्म्स के अनुसार होगा , किन्तु आवश्यक होने पर समय से पूर्व अथवा पश्चात अथवा अवकाश के दिन भी सेवाएं ली जा सकती है | इसके लिए अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा |
8. दरे अनुमोदन होने के पश्चात कार्य आदेश तिथि से 7 दिवस में संबंधित सेवाएं उपलब्ध करनी होगी, अन्यथा प्रतिदिन प्रति सेवाकर्मी रूपर 300 /- शास्ति एवं अन्य से कार्य करवाने की स्थिति में अतिरिक्त लागत की राशि संवेदक के बिल में से वसूल की जावेगी |
9. संवेदक द्वारा सेवा के दौरान जान-माल अथवा अन्य किसी भी प्रकार की हानि होने पर हानि एवं क्षति के लिए संवेदक का उत्तरदायित्व होगा, निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा |
10. आदेशित सेवा उपलब्ध न करने की स्थिति में ऐसे अनुबंध का खंडन माना जायेगा एवं निगम को धरोहर राशि / प्रतिभूति राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं संवेदक की Risk and Cost पर अन्य फर्म से कार्य सम्पादित करवाया जायेगा |
11. धरोहर राशि को निम्नलिखित स्थितियों में जब्त कर लिया जायेगा :-
. जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा स्वीकृत करने से पूर्व प्रस्ताव वापस लेता है अथवा उसमें संशोधन (modification) प्रस्तावित करता है | जब निविदादाता निर्धारित समय के भीतर अनुबंध नहीं करता है |
12. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृति पात्र जारी होने से 7 दिवस की अवधि के भीतर नियमानुसार उपयुक्त नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर करार पत्र निष्पादन करना होगा तथा करार पत्र के साथ ही प्रतिभूति राशि एफडीआर / बैंक गारंटी के रूप में जमा करनी होगी | करार पत्र एवं प्रतिभूति राशि जमा कराने के पश्चात कार्यादेश जारी किया जायेगा | निर्धारित समयावधि में करार पत्र निष्पादन नहीं करने व् प्रतिभूति राशि जमा नहीं करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी |
13. सफल निविदादाता द्वारा निविदा के समय जमा कराई गई धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित कराया जा सकेगा |
14. प्रतिभूति राशि पर निगम द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा |
15. सशर्त निविदा अमान्य होगी |
16. अनुबंध की शर्तों तथा किसी अन्य संबंधित मामलो में निगम का निर्णय अंतिम व् मान्य होगा |
17. संवेदक द्वारा कार्य का बिल हर माह की समाप्ति के बाद अगले माह की 3 तारीख तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा | भुगतान rtgs / neft के द्वारा नियमानुसार आयकर / अन्य कोई कर जो लागू हो काटकर किया जायेगा |

Signature valid

Digitally signed by Ujjwal Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.08.01 12:03:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4406519



18. अनुबंध की शर्तों के अनुरूप यदि सेवाएं संतोषप्रद नहीं रही तो 7 दिन का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा तथा धरोहर / प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जाएगी तथा आगामी अवधि का नया टेंडर किया जायेगा जिसमें ज्यादा दर आने पर , अंतर राशि संवेदक से वसूल की जावेगी |
19. बिंदु संख्या 21 में वर्णित प्रमाण पत्रों तथा अनुभव प्रमाण पत्रों का संबंधित विभाग से सत्यापन करवाया जायेगा | निगम द्वारा सत्यापन हेतु पत्र जारी करने की दिनांक से दस दिवस में संबंधित विभाग से जवाब नहीं आने पर प्रमाण पत्रों को अस्वीकार्य मानते हुए तकनीकी बिड में सफल/असफल निविदा दाताओं की घोषणा की जावेगी |
20. निविदा में न्यूनतम दर होने से ही कोई निविदादाता को ठेका आवंटन का अधिकार नहीं होगा | निगम को नेगोसिएशन करने, काउंटर ऑफर देने, न्यूनतम निविदा को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा |
21. संवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी बाल श्रमिक /अवयस्क (18 वर्ष की आयु से कम) अवांछनीय व्यक्ति ,न्यायालय द्वारा दोषी व्यक्ति अथवा असामाजिक तत्व उसके द्वारा नियोजित न हो।
22. संवेदक अथवा उसका प्रतिनिधि हमेशा कार्यों हेतु कार्यालय समय में कार्यस्थल पर उपस्थित रहेगा | तथा प्रभारी / अधिकृत अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य सम्पादित करवाएगा |
23. संवेदक द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले श्रमिक को उनके परिचय पत्र बनाकर देना होगा जो पालिका में इयूटी के दौरान संबंधित व्यक्तियों के पास पॉकेट / गले में पहचान हेतु लगा होगा | बिना परिचय पत्र के कोई भी व्यक्ति कार्य पर नहीं लिया जायेगा | इसके अतिरिक्त जांब श्रमिक को वोटर आईडी अथवा आधार कार्ड - दोनों में से कोई एक परिचय पत्र भी रखना होगा जो मांगने पर दिखानी होगी |
24. निविदादाता/फर्म /संस्था का कोई निर्देशक / प्रबंधी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध व्यक्ति नहीं होना चाहिए | संविदा के अंतर्गत न्यास में न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध व्यक्ति को सेवा पर नहीं भेजा / लगाया जायेगा | इस हेतु तथा सभी तथ्य पूर्ण एवं सही होने के सम्बन्ध में तकनीकी निविदा के साथ सलग्न प्रपत्र अनुसार रूपए 50/- के स्टाम्प पर निविदादाता द्वारा नोटरी से सत्यापित शपथ -पत्र दिया जायेगा |
25. संवेदक संबंधी व्यक्ति की शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता संबंधित कागजात / दस्तावेजों की स्व. हस्ताक्षरित फोटो प्रति रखेगा एवं उन पर मूल दस्तावेजों से मिलान करने का अंकन अपनी और से करेगा | कार्यालय अधिकृत व्यक्तियों द्वारा मांगने पर संवेदक उक्त अभिलेखों को दिखायेगा एवं मांगने पर फोटो प्रति भी उपलब्ध करवाएगा | शैक्षणिक - प्रशैक्षणिक कागजात/दस्तावेज लेने एवं योग्यता होने की सुनिश्चितता संबंधित दायित्व संवेदक का होगा | इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा कमी होने पर संवेदक कानूनी कार्यवाही का उत्तरदायी होगा |

Signature valid

Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.08.01 12:03:21 IST
Reason: Approved



26. श्रम विधि तथा विधि के अन्य सुसंगत प्रावधानों की पालना संवेदक अपनी और से सुनिश्चित करेगा। इसकी पालना नहीं होने पर संवेदक विधिक कार्यवाही हेतु उत्तरदायी रहेगा।
27. निविदा की शर्तों - विधि के सुसंगत नियमों - उपनियमों एवं प्रावधानों इत्यादि का उल्लंघन करने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी इनका पालन करना संवेदक का दायित्व होगा।
28. ठेका अवधि में संवेदक के कार्मिकों द्वारा किसी भी कारणवश आन्दोलन, धरना, उपद्रव, हड़ताल इत्यादि की गई तो उसको सुनने तथा समाधान करने की जिम्मेदारी फर्म की होगी। इस वजह से कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान पैदा हुआ तो तुरन्त अपने स्तर से अन्य कार्मिक उपलब्ध करवाने होंगे व व्यवधान से हुई हानि की भरपाई फर्म द्वारा करवाई जाएगी। सभी विवादों का अन्तिम निपटारा नगर निगम जोधपुर दक्षिण आयुक्त व महापौर महोदय द्वारा किया जायेगा।
29. बोलीदाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जावेगा:-

क्र. सं.	विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मुलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	बस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी)				
5.	आय कर (पैन नम्बर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

Signature valid

Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.08.01 12:03:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4406519



30. जॉब बेसिस पर सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेंगी:-

क.सं.	सेवा का नाम	श्रमिकों को देय पारिश्रमिक जो कि प्रचालित न्यूनतम मजदूरी की दर से कम नहीं होगी। मय संख्या				EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि	
		श्रमिक की श्रेणी	न्यूनतम मजदूरी दर	श्रमिकों की संख्या	राशि					
1	2	3			4	5	6	7	9	10
	1. अकुशल 2. अर्द्ध कुशल 3. कुशल 4. उच्च कुशल									

(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1 से 7 तक की पूर्तिया सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा ही की जाकर बोली दस्तावेज में ही अंकित कर उपलब्ध कराई जायेंगी तथा केवल स्तम्भ संख्या 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां अंकित की जा सकेंगी)

31. संवेदक के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिये निविदा में दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेंगी:-

क.सं.	कार्य की प्रकृति	कार्य हेतु आवश्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	EPF दर प्रतिशत	ESI दर प्रतिशत	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1 अकुशल- 2. अर्द्ध कुशल- 3. कुशल- 4. उच्च कुशल-						

Signature valid

Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.08.01 12:03:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4406519



(उपर्युक्त तालिका में स्तम्भ संख्या 1-4, 6 व 7 की पूर्तियां सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा की जाकर बोली दस्तावेज में ही उपलब्ध कराई जायेंगी तथा शेष स्तम्भ संख्या 5, 8 एवं 9 में ही बोलीदाता द्वारा समुचित प्रविष्टियां की जा सकेंगी।)

32. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
33. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
34. यदि किसी उपापन संस्था को अंशकालिक (Part-time) मानव संसाधन की सेवाओं की 4 घण्टे से कम अवधि के लिये आवश्यकता हो तो ऐसी अंशकालिक सेवा का बोली दस्तावेजों में स्पष्ट उल्लेख करते हुए सम्बन्धित उपापन संस्था द्वारा बिड सम्बन्धी कार्रवाई की जावेगी।
ऐसे अंशकालिक मानव संसाधन जिनकी सेवाएं 4 घण्टे से कम अवधि के लिए ली जायेंगी। उन्हें उनकी सेवाओं के विरुद्ध न्यूनतम मजदूरी की गणना श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की 50 प्रतिशत राशि पर की जायेगी।
35. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण सम्बन्धित उपापन संस्था को अगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
36. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
37. संवेदक को राज्य/ केंद्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौति और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने अगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
38. संवेदक द्वारा प्रत्येक कार्य स्थल पर Display Boards बोर्ड लगाये जायेंगे, जिन पर संवेदक का नाम, संविदा अवधि, कार्य की प्रगति, श्रमिकों हेतु Helpline नम्बर एवं संवेदक द्वारा न्यूनतम मजदूरी भुगतान नहीं करने की शिकायत करने सम्बन्धी प्रावधान का विवरण स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा।
39. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

Signature valid

Digitally signed by **Umesh Kaushal**
Designation: **Commissioner**
Date: 2023.08.11 12:03:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4406519



40. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर GST की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर GST के चालान की प्रति अगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर GST की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर GST के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
41. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उननियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
42. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
43. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
44. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई करवाने/ सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
45. यदि संवेदक द्वारा नियामनुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किए जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और, नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को Debar कराने की कार्यवाही करेगा।
46. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मददेनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृत करा रखी हो, तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए, इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि किसी उपापन संस्था द्वारा अतिरिक्त राशि के रूप में न्यूनतम मजदूरी के ऊपर 10 प्रतिशत का पृथक से भुगतान संवेदक को किया जायेगा। उक्तानुसार विशिष्ट कार्य करने वाले सम्बन्धित श्रमिक को 10 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी का) अतिरिक्त भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।
47. उपापन संस्था द्वारा संवेदक को कार्य आदेश जारी करने के पश्चात् कार्यादेश की प्रति श्रम विभाग को सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी एवं श्रम विभाग मुख्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जायेगी।

निविदादाता नाम व हस्ताक्षर
नाम मय सील

RajKaj Ref No. : 4406519

Signature valid

Digitally signed by **असुवत** Utsav Kaushal
Designation: **जो मय सील**
Date: 2023.08.01 12:03:21 IST
Reason: Approved



—तकनीकी निविदा के लिये नियम व शर्तें—

- निविदा दाता फर्म भविष्य निधि खाता संख्या EPF, राज्य कर्मचारी बीमा संख्या ESIC, वस्तु एवं सेवा कर GST, व आयकर खाता संख्या PAN में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- निविदा दाता का सक्षम श्रम अधिकारी से श्रम प्रावधानों के अनुसार आपूर्ति के उद्देश्य के रूप में राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 में पंजीकृत होना आवश्यक है। साझेदारी फर्म होने की दशा में साझेदारी डीड की प्रति, कम्पनी की दशा में कम्पनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन की प्रति निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
- न्यूनतम मजदुरी अधिनियम 1948 के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना संवेदक को करनी होगी।
- निविदा दाता के पास राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 नियम के तहत अनुज्ञा पत्र होना अनिवार्य है, अथवा निविदादाता को घोषण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- निविदादाता फर्म का पिछले तीन वित्तीय वर्षों में औसतन टर्न ओवर कम से कम 1 करोड़ का होना अनिवार्य हैं जिसके परिणामस्वरूप फर्म के 3 वर्षों की बैलेंस शीट व टर्न ओवर सर्टिफिकेट सी.ए. द्वारा प्रमाणित कर प्रस्तुत करनी होगी।
- GST/EPF/ESIC का भुगतान समय समय पर सम्बन्धित विभाग में जमा करवाने का दायित्व संवेदक का होगा। संवेदक को पिछले तीन माह की GST/EPF/ESIC के चालान की प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी।
- निविदादाता फर्म को पिछले 3 वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न, ऑडिटेड बैलेंस शीट, निविदा के साथ प्रस्तुत करनी होगी।
- निविदादाता द्वारा संलग्न किये जाने वाले अथवा प्रस्तुत किये जाने प्रत्येक दस्तावेज स्व.हस्ताक्षरीत होने चाहिये। निर्धारित धरोहर राशि, निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस डिमांड ड्राफ्ट द्वारा देय होगी, जो की तकनीकी बिड के साथ स्कैन करना होगा। एवं मूल डीडी सीलगंद लिफाफे में निगम में तय समयानुसार जमा करवानी होगी।
- निविदा दाता की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने के प्रमाण हेतु बैंक गारंटी के तौर पर हैसियत प्रमाण-पत्र/ Bank Solvency कम से कम 15 लाख रुपये तक होना आवश्यक है।
- संवेदक का राजस्थान पुलिस द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र (पिछले छः माह का) निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य हैं।

Signature valid

Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.08.01 12:03:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4406519



- निविदा के साथ निविदादाता को पिछले तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष में पांच फायर वाहन के संचालन व रखरखाव का कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। इसके अभाव में प्रस्तुत तकनीकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा एवं निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी।
- फर्म को पिछले तीन वित्तीय वर्षों में किसी एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 40 लाख तक का कार्य राजकीय विभाग/स्वायत्तशासी संस्था/नगर निगम आदि में निविदा में अंकित कार्य करने का अनुभव होना चाहिये। इसके साक्ष्य स्वरूप सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण करने के प्रमाण-पत्र की प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- निविदादाता को अण्डरटेकिंग निविदा के साथ संलग्न प्रारूप (परिशिष्ट-अ) में प्रस्तुत करना होगा।

नोट:- उपरोक्त उक्त बिन्दु निर्धारित तकनीकी मापदण्डों हेतु आवश्यक उल्लेखित दस्तावेज ई, निविदा में तकनीकी बिड के साथ अनिवार्य रूप से अपलोड करने होंगे। जिनके अभाव में निविदादाता को तकनीकी बिड के मूल्यांकन में अयोग्य घोषित करते हुए उनकी वित्तीय बिड नहीं खोली जायेगी।

मैंने सभी शर्तों का अध्ययन कर लिया है। मैं एवं मेरी फर्म उपरोक्त सभी शर्तों की पालना करने को सहमत है।

निविदादाता नाम व हस्ताक्षर
नाम मय सील

RajKaj Ref No. : 4406519

Signature valid

Digitally signed by **अश्विनी Kaushal**
Designation: **निगम निष्पादन अधिकारी**
Date: 2023.08.01 12:03:21 IST
Reason: Approved



कार्यालय नगर निगम, जोधपुर दक्षिण

शास्त्रीनगर एवं बासनी फायर स्टेशन के (पांच अग्निशमन वाहनों) का संचालन एवं रख रखाव के लिये निर्धारित कार्य एवं सामान्य शर्तें

1. अग्निशमन केन्द्र पर फायर वाहन टेण्डर, उपकरण पानी ,फोम, टेलीफोन, वायरलेस सेट, भवन एवं अन्य उपकरण एवं साजों सामान निगम द्वारा उपलब्ध कराये जायेगे। जिनका संधारण एवं संचालन कॉन्ट्रैक्टर संस्था को करना होगा।
2. उक्त निविदा के लिए ठेकेदार लगातार 24 घण्टें (3 पारी में) के कार्य के आधार पर प्रत्येक वाहन पर अपने निम्न कर्मचारी मय प्रभारी उपलब्ध करावेगा।
 1. ड्राईवर – 1 व्यक्ति।
 2. फायर मैन- 2 व्यक्ति।
3. सफल ठेकेदार को फर्म की लागत के पांच प्रतिशत प्रतिभूति निक्षेप राशि धरोहर राशि को समायोजित करते हुए निगम कोष में जमा करानी होगी एवं नियमानुसार अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा।
4. ठेकेदार को केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी श्रम नियमों कानूनों की पालना सुनिश्चित करनी होगी
5. ठेकेदारों का प्रत्येक कर्मचारी व प्रभारी निगम द्वारा निर्धारित गणवेश (खाकी वर्दी) धारण करेगा। ठेकेदारों फायर स्टेशन के संचालन हेतु लगाये गये समस्त कर्मचारियों को अपने स्तर से निर्धारित गणवेश, चमड़े के जूते, हेलमेट गम बूट, नेम प्लेट, बैल्ट, कैप इत्यादि उपलब्ध करायेगे एवं यह सुनिश्चित करेगे कि कर्मचारी ड्यूटी के समय निर्धारित गणवेश धारण करेगे।
6. जोधपुर शहर एवं आस-पास क्षेत्रों की जानकारी (रास्तो की) ठेकेदार के प्रत्येक प्रभारी व कर्मचारी रखेगे, ताकि प्रत्येक परिस्थिति में तत्काल घटना स्थल तक पहुंचा जा सके।
7. अग्निशमन केन्द्र की सम्पत्ति की सुरक्षा सामान्य रख-रखाव, सफाई, व विद्युत इत्यादि की समस्त देख-रेख की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
8. अग्निशमन वाहन के सामान्य रख-रखाव एवं देख-भाल, साफ-सफाई , धुलाई, ग्रीसिंग पंचर रिपेयर नट-बोल्ट कसना, पहिया बदलना, सुरक्षा इत्यादि की समस्त देखरेख की जिम्मेवारी ठेकेदार की होगी।
9. किसी भी स्थिति में वाहन अच्छी चालू हालत में है, इसकी दैनिक रिपोर्ट प्रातः 10.00 बजे व सांय 04.00 बजे दैनिक रूप से निगम के सहायक अग्निशमन अधिकारी को दी जावेगी।
10. ठेकेदार वाहन खराब होने पर इसकी रिपोर्ट निगम को करेगा व वाहन कितने समय/दिन में ठीक हो जायेगी। यह लिखकर देगा व रसीद प्राप्त करेगे।
11. ठेकेदार अग्निशमन केन्द्र/अग्निशमन वाहन व सुपुर्द्ध की गई सम्पत्ति का आवश्यक कानूनी जमानत देगा व औपचारिकताओं की पूर्ति करेगा।

Signature valid

Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.09.01 12:03:21 IST
Reason: Approved



12. अग्निशमन केन्द्र नगर निगम जोधपुर दक्षिण में ठेकेदार द्वारा लगाये जाने वाले समस्त कर्मचारियों (फायरमैन/वाहन चालक शिफ्ट प्रभारी के वेतन, बीमा सुरक्षा इत्यादि) की पूर्ण जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर संस्था को अपने स्वयं के खर्च पर करनी होगी।
13. कहीं भी अग्नि दुर्घटना (आग लगना इत्यादि) होने पर चौकीदार तत्काल निगम या प्रभारी अधिकारी को सूचित करते हुए अग्निशमन हेतु प्रस्थान करेंगे।
14. टेलीफोन पंजिका में ठेकेदारों के प्रभारी द्वारा दिये जाने वाले प्रत्येक संदेश का इन्द्राज किया जावेगा।
15. सभी प्रकार के विवादों पर निगम का निर्णय अन्तिम होगा।
16. फर्म क्षेत्र में किसी दुर्घटना की स्थिति में थाना प्रभारी के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं पर निगम की स्वीकृति से वाहन वहां जायेगा।
17. वाहन के वापस आते ही रिपोर्ट निगम को तत्काल प्रस्तुत की जावेगी।
18. जहाँ वाहन जायेगा वहां से अग्नि दुर्घटना का पूर्ण विवरण (रिपोर्ट) तस्दीक करवाकर मौके पर से ही लेकर आना होगा।
19. ड्यूटी पर तैनात किसी भी कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार का व्यसन लेना, नशा करना, ताश खेलना अथवा अनैतिक आचरण नहीं किया जायेगा।
20. जितने दिवस गाडी मरम्मत या अन्य किसी कारण से कार्य उपलब्ध नहीं होगी। उतने दिन/समय का ठेकेदार को कोई भुगतान नहीं किया जावेगा।
21. गाडी की दैनिक लॉगबुक रखी जावेगी व मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम, जोधपुर दक्षिण या उसके द्वारा नामांकित अधिकारी से प्रत्येक दिन हस्ताक्षर करवायेगां।
22. मुख्य अग्निशमन अधिकारी नगर निगम जोधपुर दक्षिण द्वारा नामांकित अधिकारी समय-समय पर अग्निशमन केन्द्र का निरीक्षण कर सकेंगे व आवश्यक सुझाव व निर्देश दे सकेंगे।
23. घटना स्थल पर सूचना मिलने के बाद भी तत्काल न पहुंचने पर एक माह के लिए देय राशि तक का जुर्माना ठेकेदारों पर किया जा सकेंगे व इस हेतु निगम का निर्णय अन्तिम होगा।
24. सभी विवादों का अन्तिम निपटारा निगम के अधीन होगा व उसका निर्णय अन्तिम होगा।
25. फायर वाहनों की संख्या निगम द्वारा आवश्यकतानुसार घटाई या बढ़ायी जा सकती है।
26. फायर वाहनों के लिए ईंधन (डीजल ऑयल) नगर निगम जोधपुर दक्षिणद्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। वाहनों की एवरेज आदि अनुबन्धित संस्था को ही सुनिश्चित करना होगा।
27. यदि अग्निशमन वाहन कार्य क्षेत्र से बाहर जाता है। तो अग्निशमन अधिकारियों / कर्मचारियों को कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
28. दूरभाष का मासिक किराया निगम के द्वारा दिया जावेगा एवं किराये के अलावा अतिरिक्त समस्त राशि ठेकेदार के द्वारा वहन की जावेगी।

Signature valid

Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.08.01 12:03:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4406519



29. अग्निशमन केन्द्र पर संधारित होने वाले सभी रिकॉर्ड (लॉग बुक, रजिस्टर, स्टोर रजिस्टर एवं अन्य) इनका संधारण नगर निगम अग्निशमन अधिकारी द्वारा मनोनित अधिकारी की देख-रेख में नियमित रूप से करना होगा। निरीक्षण करने पर समस्त रिकॉर्ड उपलब्ध करना होगा।
30. कार्य संतोषजनक नहीं पाये जाने पर एक माह नोटिस देकर अनुबन्ध समाप्त करने का एवं कार्य संतोषजनक पाये जाने पर कार्य अनुबन्ध की अवधि आपसी सहमती से बढ़ाने का अधिकार का निगम प्रशासन को होगा।
31. एक शिफ्ट पूर्ण होने के पश्चात् फायरमैन/ वाहन चालक का अन्य स्टाफ को ड्यूटी चार्ज संभालने / चार्ज लेने के बाद की ड्यूटी होगी।
32. कोई भी फायरमैन / वाहन चालक किसी कारण ड्यूटी पर नहीं आ सके तो संस्था को अन्य फायरमैन/वाहन चालक उपलब्ध कराना होगा। निरीक्षण के समय फायरमैन /वा.चा./प्रभारी के अनुबंध अनुसार उपलब्ध नहीं पाये जाने पर 1000/- रुपये प्रति दिन की दण्ड राशि कानूनी की जायेगी। दण्ड अनुबन्धकर्ता को प्रतिमाह भुगतान की जाने वाली राशि के 50 प्रतिशत तक की हो सकेगी तथा अनुबन्ध का कार्य संतोषजनक नहीं होने पा उसकी प्रतिभूती राशि को जब्त करते हुये कार्य अन्य श्रोतो से संवेदक की रिस्क एण्ड कोस्ट पर कराया जायेगा एवं फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जायेगा।
- विभाग की आवश्यकतानुसार अनुबन्धकर्ता निगम के मुख्य अग्निशमन अधिकारी के निर्देशानुसार अग्निशमन वाहनों को कभी भी तैनात करना होगा तथा मुख्य अग्निशमन अधिकारी के निर्देशानुसार ही हटाई जावेगी। इसमें लापरवाही करने पर ठेकेदार को प्रतिमाह की जाने वाली राशि से 2 प्रतिशत से 10 प्रतिशत दण्ड राशि वसूली जायेगी।
33. अग्निशमन केन्द्र पर कार्यरत कर्मचारियों के द्वारा स्टेशन लेवल, फायर टेण्डर फायर उपकरणों की नियमित रूप से देखभाल एवं साफ सफाई करने के साथ स्टेशन लेवल प्लान्टेशन का कार्य भी नियमित रूप से कराना होगा।
34. लगाये जाने वाले फायरमैन/वाहन चालक आग बुझाने में सक्षम (दक्ष) होंगे।
35. निगम द्वारा उपलब्ध वाहन चालक से दुर्घटना घटित होने पर समस्त जिम्मेदारी ठेकेदारी की होगी। नगर निगम जोधपुर दक्षिण केवल वाहन की बीमा कराने का उत्तरदायी होगा। वाहन में हुये नुकसान की वसूली कॉन्ट्रैक्टर संस्था से की जावेगी।
36. अग्निशमन केन्द्र पर कार्यरत कर्मचारियों एवं प्रभारी के उपचार हेतु आवश्यकता दवाईयों की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जानी है।
37. कॉन्ट्रैक्टर संस्था द्वारा उपलब्ध कर्मचारी का कार्य कुशल न होने पर निगम के निर्देशानुसार कर्मचारी को बदलना पड़ेगा।
38. उपरोक्त फायर पर मोनेटरिंग व पूर्ण नियन्त्रण नगर निगम, जोधपुर दक्षिण का होगा।
39. **फायर मैन की योग्यता-**
1. कम से कम दसवीं पास होना अनविर्य है एवं आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धित प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए संवेदक को फर्म प्रारम्भ करने से पूर्व संबोधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 2. फायर मैन विकलांग नहीं होना चाहिए एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

Signature valid

Digitally signed by Usha Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.09.01 12:03:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4406519



40. वाहन चालक की योग्यता-

1. कम से कम आठवी पास होना अनिवार्य एवं उम्र 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए , भारी वाहन चलाने का लाईसेन्स (तीन साल का अनुभव) होना चाहिए इस हेतु सलग्न प्रमाण पत्र/लाईसेन्स की प्रति कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रस्तुत करनी होगी।
2. वाहन चालक विकलांग नहीं होना चाहिए , शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए,
3. गाड़ियों का नियमित रूप से साफ- सफाई ऑयल-ग्रीस करने साथ - साथ रख-रखाव का पूर्ण ज्ञान रखता हो तथा वाहन में छोटी कमियों को रिपेयर करने की जानकारी रखता हो तथा टायर- ट्यूब बदलने की जानकारी हो।
मुझे सभी शर्तें स्वीकार व मान्य है।

निविदादाता नाम व हस्ताक्षर
नाम मय सील
RajKaj Ref No. : 4406519

Signature valid

Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.09.07 14:03:21 IST
Reason: Approved
कार निगम उपरुपर दक्षिण



BOQ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर दक्षिण

कार्य का नाम – शास्त्रीनगर एवं बासनी फायर स्टेशन के अग्निशमन वाहनों का संचालन एवं रख-रखाव हेतु।

वित्तीय बिड (BOQ)

क्र. स.	कार्य का प्रकार	दर (प्रतिमाह प्रति फायर वाहन समस्त कर सहित)
1	शास्त्रीनगर, एवं बासनी फायर स्टेशन के अग्निशमन वाहनों का निविदा शर्तों अनुसार संचालन एवं रखरखाव	रुपये (अंको में)..... रुपये (शब्दों में).....

नोट:-

1. उपरोक्त कार्य की दरें प्रति माह प्रति फायर वाहन के आधार पर देनी होगी।
2. उपरोक्त कार्य पर जी.एस.टी. की राशि यदि देय हो तो निगम द्वारा अलग से वहन की जावेगी। किन्तु राजकोष में जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
3. दरों की औचित्यता का आधार परिशिष्ट 'ब' (निर्धारित कार्य एवं सामान्य शर्तों) के बिन्दु संख्या 2 तथा तकनीकि बोली प्रस्ताव के बिन्दु संख्या 31 होगा।

निविदादाता का नाम व हस्ताक्षर
नाम मय व सील

Signature valid

Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.08.01 12:03:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4406519



—:अण्डर टेकिंग:-

निविदा के लिये मेरे/ हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी पत्र व जानकारियाँ सही व सत्य है, यदि यह गलत व असत्य पायी गयी तो मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर मेरी/हमारी जमा धरोहर राशि जब्त करने के लिये अधिकृत है।

मेरे/हम को यह ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत पत्र/जानकारी निविदा के कार्य समय में कभी भी असत्य व गलत पायी जाने पर मेरी/ हमारी निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा धरोहर राशि व भुगतान आदि राशि जब्त कर ली जावेगी।

मै/ हम यह भी घोषणा करते है कि मैंने / हमने कार्य स्थल तथा कार्य विवरण को देख समझ लिया है। मै/ हम स्वीकार करते है कि हमारी जमा की गई धरोहर राशि तथा काटी जाने वाली सिक्क्योरिटी डिपोजिट पर ब्याज देय नहीं होगा तथा अगर मैंने/ हमने।

अपनी निविदा दर की वैद्वता 90 दिवस से कम के लिये प्रस्तुत की (2) दरे स्वीकृति के पश्चात् निविदा के निर्देशो की निर्धारित समय में पालना नहीं की (3) आदेशित कार्य समय पर प्रारम्भ नहीं किया (4) निविदा प्रपत्र के व नगर निगम के आदेश/निर्देशो की पालना नहीं की तो नगर निगम द्वारा निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

इन वाहनों से सम्बन्धित सभी व्यय मै/हमारे द्वारा वहन किये जायेगे।

मुझे/हमें यह ज्ञात है कि सिक्क्योरिटी डिपोजिट कार्य समाप्त होने के पश्चात् मांग करने पर बिना ब्याज के भुगतान किया जावेगा।

निविदा स्वीकार होने पर निविदा के नियम, शर्तो संलग्न प्रपत्रों निगम आदेशों की पालना करने के लिये मै/हम बाध्य है तथा सहमति देते है।

मै / हम यह भी घोषणा करते है कि नगर निगम प्रशासनिक, विधिक या अन्य किसी कारण से किसी भी समय कार्यादेश को निरस्त कर सकती है तथा इसका कोई क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं किया जावेगा।

इसकी मै/ हम सहमति देते है।

मै/ हम यह भी घोषणा करते है कि मै/ हमारी फर्म कही पर भी ब्लेक लिस्टेट नहीं है।

मै/ हम यह भी घोषण करते है कि मै/ हमारा कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम जोधपुर में कार्यरत नहीं है।

दिनांक.....

निविदादाता का नाम व हस्ताक्षर
नाम मय व सील

RajKaj Ref No. : 4406519

Signature valid

Digitally signed by Ujjwal Kaushal
Designation: Commissioner
Date: 2023.08.14 12:03:21 IST
Reason: Approved



तकनीकी निविदा/बोली चैक लिस्ट

निविदादाता द्वारा तकनीकी बिन्दु में निम्नानुसार दस्तावेजो को पी.डी.एफ. अन्तर्गत अपलोड करना होगा।

क्र.सं.	विवरण	प्रमाण पत्र विवरण	हा/नहीं	पृष्ठ संख्या
1	निविदा/बोली अमानत राशि रु. 168000/- (रूपये एक लाख अडसठ हजार मात्र) की डी.डी./बैंकर चैक आयुक्त, नगर निगम जोधपुर दक्षिण के नाम सलंगन होगी (स्केन कॉपी)	डी.डी. नम्बर..... दिनांक.....		
2	निविदा/बोली शुल्क रु. 1000/- (रूपये एक हजार मात्र) की डी.डी./बैंकर चैक आयुक्त, नगर निगम जोधपुर दक्षिण के नाम (स्केन कॉपी)	डी.डी. नम्बर..... दिनांक.....		
3	ई-टेंडरिंग प्रक्रिया शुल्क रु. 1500/- (रूपये एक हजार पाच सौ मात्र) की डी.डी./बैंकर चैक M.D. RISL JAIPUR के नाम। (स्केन कॉपी)	डी.डी. नम्बर..... दिनांक.....		
4	निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ की स्व-प्रमाणित प्रति।			
5	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970	रजि. सख्या..... दिनांक.....		
6	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के पंजीयन की स्व-प्रमाणित प्रति।	रजि.सख्या.....दिनांक..... चालान सं.....दिनांक.....		
7	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के पंजीयन की स्व-प्रमाणित प्रति।	रजि.सख्या.....दिनांक..... चालान सं.....दिनांक.....		
8	वस्तु एवं सेवा कर (GST) के पंजीयन की स्व-प्रमाणित प्रति।	रजि.सख्या.....दिनांक..... चालान सं.....दिनांक.....		
9	आयकर (पैन नम्बर) पंजीयन की स्व-प्रमाणित प्रति।	पे.नम्बर.....		
10	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीयन की स्व-प्रमाणित प्रति।	रजि.सख्या.....दिनांक..... रजि.सख्या.....दिनांक..... रजि.सख्या.....दिनांक.....		

Signature valid

Digitally signed by **Utsav Kaushal**
Designation: **Commissioner**
Date: 2023.05.01 12:03:21 IST
Reason: Approval

RajKaj Ref No. : 4406519



11	गत तीन वित्तीय वर्षों में औसतन प्रतिवर्ष 1 करोड़ टर्न ओवर की सी.ए. ऑडिट रिपोर्ट्स की स्व-प्रमाणित फोटो प्रतियां।	प्रमाण पत्र..... दिनांक.....		
12	निविदादाता फर्म का पिछले तीन वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न, ऑडिटेड बैलेंस सीट, एवं स्व प्रमाणित फोटो प्रतियां।	वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23		
13	निविदा दाता का वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होने के प्रमाण हेतु बैंक गारण्टी के तौर पर हैसियत प्रमाण पत्र/बैंक सोलवेंसी कम से कम 15 लाख रुपये तक होना आवश्यक हैं।	प्रमाण क्रमांक..... दिनांक.....		
14	संवेदक को राजस्थान पुलिस द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र (पिछले छ माह का) निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य हैं।	प्रमाण पत्र..... दिनांक.....		
15	निविदा के साथ निविदा दाता का पिछले तीन वर्षों में से किसी एक वर्ष में पाच अग्निशमन वाहनों के संचालन व रखरखाव का कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक हैं।	प्रमाण क्रमांक..... दिनांक.....		
16	सयुक्त उद्यम का अनुबन्ध तथा मुख्य बोली का अधिकार पत्र (यदि लागू हो तो) की स्व-प्रमाणित फोटो प्रतिया।	प्रमाण पत्र..... दिनांक.....		
17	अण्डर टैकिंग	परिशिष्ट 'अ'		
18	अन्य दस्तावेज	विवरण 1. 2. 3. 4.		

Signature valid

Digitally signed by Utsav Kaushal
Designation : Commissioner
Date: 2023.09.01 12:03:21 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4406519

